

न्यायालय सभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस



अपील संख्या: 37/2012 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2012/00012

1. सोनाराम पुत्र तेजाराम जाति मेघवंशी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. रामलाल पुत्र तेजाराम जाति मेघवंशी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. अर्जुनराम पुत्र तेजाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गंडा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर। (मृतक)
 - 3/1 रुखमा देवी पत्नि
 - 3/2 गणेशाराम पुत्र
 - 3/3 मेघाराम पुत्र अर्जुनराम पुत्र तेजाराम
 - 3/4 खुशाली देवी पुत्री
 - 3/5 अन्नु देवी पुत्री
4. हरजीराम पुत्र टीकुराम जाति मेघवंशी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. मेघराज पुत्र जैसाराम जाति मेघवंशी निवासी पाबूबारी के पास, बीकानेर।
2. भागीरथ पुत्र जेठाराम मेघवाल जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. उदाराम पुत्र हमीराराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर। (मृतक)
4. भजनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. रेवंतराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. मंगलाराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. चम्पा पत्नि स्व. बालूराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

उभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. मघाराम पुत्र स्व. बालूराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. गंगाराम पुत्र स्व. बालूराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
10. अमराराम पुत्र स्व. बालूराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा, तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. गंगा पत्नि खेताराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. सांवतराम पुत्र खेताराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
13. मघाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
14. सुगनाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
15. पेमाराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
16. फुसी पत्नि भगवानाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर। (मृत्तक)
17. ईश्वरराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर। (मृत्तक)
20/1 चम्पा पत्नि ईश्वरराम पुत्र भगवानाराम
18. पुनमराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
19. अर्जुनराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
20. आसुराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
21. लूणाराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
22. शिवराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी निवासी गांव गुड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।



— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री सत्यनारायण तिवाड़ी

श्री बहादुरराम सुथार

श्री जयचंद लाल सारस्वत

श्री राधेश्याम सेवग

अभिभाषक अपीलांट सं.

1, 2 व 4

अभिभाषक अपीलांट सं.

3/1 ता 3/5

अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं. 1

अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं.

2 ता 16 व 18 ता 22

संभागीय आयुक्त
बीकानेर



निर्णय

दिनांक 06.07.2022

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोलायत के आदेश दिनांक 16.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि-

1- वादग्रस्त भूमि चक बंधा नंबर 4 के खसरा नंबर 236 तादादी 6.32 हैक्टेयर में स्थित खातेदारी भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि मु. रूपा बेवा पन्नाराम मेघवंशी साकिन गुड़ा के नाम दर्ज खातेदारी भूमि थी। खातेदार रूपा के स्वर्गवास के बाद आराजी जैर अपील देऔलाद होने के कारण अपीलांट्स व रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ता 22 के नाम विरासतन इंतकाल संख्या 73 दिनांक 05.06.2010 को दर्ज हो गया। उक्त इंतकाल संख्या 73 को उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने दिनांक 16.02.2012 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के उक्त आदेश दिनांक 16.02.2012 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 01.10.2010 को उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) वीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अगली तारीख पेशी पर क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण उपखण्ड अधिकारी कोलायत को हस्तांतरित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिए। अधिनस्थ न्यायालय ने मियाद के विन्दु पर निर्णय किये बिना ही आदेश पारित कर दिये, जो विधि विरुद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल रजिस्टर्ड दत्तकनामों के आधार पर इंतकाल संख्या 73 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता। खातेदार रूपा के पति के स्वर्गवास के बाद से ही रूपा अपीलांट्स के साथ ही रही। अपीलांट्स ने ही उक्त विवादित भूमि पर काश्त करते रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दत्तकनामा कूटरचित है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ता 22 उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें बतौर रेस्पोजेन्ट्स पक्षकार बनाया गया है। हिन्दू गोदनामा व निर्वहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेस्पोजेन्ट संख्या 1 मेघराज गोद जाने योग्य ही नहीं था। इंतकाल संख्या 73 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया


तहसीलदार
वीकानेर

गया था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करते हुए तहसीलदार राजस्व कोलायत को रिमाण्ड कर दिया जो कि विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलांट्स ने इस संबंध में निम्नलिखित आर.आर.डी. पेश की हैं—

Sr. no.	RRD/AIR	Page no.
1.	RRD 1991	165
2.	RRD 1991	169
3.	AIR 2019	SC-543

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्ट्स श्री जयचंद लाल सारस्वत ने दौराने बहस कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा ने ग्राम चक बंधा नंबर 4 की खसरा नंबर 236 की 6.32 हैक्टेयर भूमि रूपा बेवा पन्नाराम साकिन ग्राम गुड़ा के नाम खातेदारी थी। रूपा द्वारा रेस्पोजेण्ट संख्या 1 मेघराज को गोद लिया हुआ था। इस संबंध में गोदनामा दिनांक 28.03.2008 रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के हक में तस्दीक करवा दिया गया। इसप्रकार रेस्पोजेण्ट संख्या 1 दत्तक पुत्र है। रूपा का स्वर्गवास दिनांक 03.03.2010 को हो जाने के बाद वादग्रस्त भूमि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होनी थी, किन्तु अपीलांट्स एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 2 ता 22 ने गलत वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इंतकाल संख्या 73 दर्ज हो गया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।


4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि चक बंधा नंबर 4 के खसरा नंबर 236 तादादी 6.32 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2012 की पालना में तहसीलदार कोलायत ने दिनांक 21.02.2013 को रेस्पोजेण्ट संख्या 1 मेघराज दत्तक पुत्र रूपा देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 21.02.2013 के विरुद्ध एक अन्य अपील इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसप्रकार उपखण्ड अधिकारी कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2012 की तहसीलदार कोलायत द्वारा पालना हो जाने के कारण आदेश दिनांक 16.02.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता।


संसाधन आयुक्त
मेरठ



उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2012 की पालना तहसीलदार कोलायत द्वारा कर दिये जाने के कारण इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील निष्प्रभावी/निष्फल (Infructuous) हो जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर